भारतीय आयुर्वज्ञिान परषिद के वघिटन की घोषणा

चर्चा में क्यों?

भारतीय आयुर्वज्ञिान परषिद के कामकाज की नगिरानी करने के लयि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नयिुक्त पर्यवेक्षण समतिि के अचानक इस्तीफा देने के बाद सरकार ने हाल ही में चकित्सिा शक्षिा के शीर्ष नयिामक इस 100 सदस्यीय परषिद के वर्तमान स्वरूप को भंग कर दयिा।

प्रमुख बदिु

- परषिद के सदस्यों के गैर-सहयोगी और गैर-अनुपालनशील रवैये के संबंध में पर्यवेक्षण समतिि द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय को बार-बार शकियतें और लखिति नविदेन भेजे जा रहे थे।
- नीतिआयोग के सदस्य वी.के. पॉल की अध्यक्षता वाली समतिि ने जुलाई माह में परषिद पर आरोप लगाते हुए मंत्रालय को पत्र लखिा था कि, "एमसीआई अधकिारियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या की जा रही है। मंत्रालय को या तो इस संबंध में कार्रवाई करनी चाहयि या सर्वोच्च न्यायालय को इससे अवगत कराया जाना चाहयि।"
- बाद में, पॉल ने एमसीआई के खलिाफ जाँच आयोग की मांग करते हुए मंत्रालय को फरि से पत्र लखिा। इसके बाद पाँच सदस्यीय समतिि ने इस्तीफा दे दयिा। इस समतिि में वी.के. पॉल के अतरिक्ति दल्लिी में एम्स के नदिशक रणदीप गुलेरयिा; एम्स में प्रोफेसर और एंडोक्राइनोलॉजी के प्रमुख नखिलि टंडन; चंडीगढ़ में PGIMER के नदिशक जगत राम तथा बंगलूरू में NIMHANS के नदिशक बीएन गंगाधरन शामलि थे।
- स्वास्थ्य और परवािर कल्याण मंत्रालय के एक वरष्ठि अधकिारी के अनुसार, पूरी समतिि द्वारा वरिोधस्वरूप इस्तीफा दयि जाने के बाद मंत्रालय को आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला करने के लयि सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ता। जसिसे मंत्रालय को सर्वोच्च न्यायालय की ओर अधकि आलोचना झेलनी पड़ती।
- इसलयि एमसीआई को भंग करने का नरि्णय लयिा गया और पर्यवेक्षण समतिि के पाँच सदस्यों को नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रूप में नयिुक्त कयिा गया।
- शीर्ष चकित्सिा नकिाय संबंधी सुधार के लयि सरकार वर्ष 2010 से अत्यंत सुस्त गतिसे प्रयास कर रही है। इस संबंध में संसदीय स्थायी समतिि की एक रपिोर्ट के अनुसार, सरकार पछिले आठ वर्षों से बार-बार पूर्ववर्ती बोर्ड का स्थान लेने के लयि गवर्नरों के एक बोर्ड का गठन कर रही है।
- अभी तक राष्ट्रीय मेडकिल कमीशन वधियक पारति नहीं कयिा गया है जो भारतीय मेडकिल काउंसलि एक्ट, 1956 का स्थान लेगा। इससे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन आयोग वधियक, 2011 को वपिक्ष के वरिोध के कारण वापस ले लयिा गया था।

भारतीय आयुर्वज्ञिान परषिद (Medical Council of India- MCI)

- भारतीय आयुर्वज्ञिान परषिद की स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी। भारतीय आयुर्वज्ञिान परषिद अधनियिम, 1933 के तहत स्थापति इस परषिद का कार्य एक मेडकिल पंजीकरण और नैतकि नरीक्षण करना था।
- दरअसल, तब चकित्सिा शक्षिा में इसकी कोई वशिेष भूमकिा नहीं थी, कंतिु वर्ष 1956 के संशोधन द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों ही स्तरों पर चकित्सिा शक्षिा की देख-रेख हेतु इसे अधकिृत कर दयिा गया।
- वर्ष 1992 शक्षिा के नजिीकरण का दौर था और इसी दौरान एक अन्य संशोधन के ज़रयि एमसीआई को एक सलाहकारी नकिाय की भूमकिा दे दी गई। जसिके तीन महत्त्वपूर्ण कार्य थे-

1. मेडकिल कॉलेजों को मंज़ूरी देना
2. छात्रों की संख्या तय करना
3. छात्रों के दाखलि संबंधी कसिी भी वसि्तार को मंज़ूरी देना

appointed-oversight-committee-resigns